न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 111/2012

वादी :-

1. गणपतसिंह पुत्र गौरादान
   जाति-चारण निवासी-खराडी
   तहसील-जैतारण जिला-पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. छतरसिंह पुत्र गोरादान
2. कैलाशदान पुत्र केशरसिंह
3. महेशदान पुत्र केशरसिंह
4. पदमकंवर बेवा केशरसिंह
   जाति-चारण निवासी-खराडी
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली
5. बलवीरसिंह पुत्र गोरादान
   जाति-चारण, निवासी-सी/ओ करणी
   मेडिकल शिवरोड, गोटन
   तहसील-मेड़ता सिटी, जिला-नागौर
6. तहसीलदार जैतारण
   भूमिधारी राजस्थान सरकार
   तहसील-जैतारण जिला-पाली

<u>राजस्व वाद बाबत् बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

<u>तारीख रजू:-12.06.2012</u>

उपस्थित:- 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादी।

-:: निर्णय ::-

<u>दिनॉकः- 10/07/2015</u>

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-खराड़ी, पटवार हल्का-डिगरना, तहसील-जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि ख.नं. 1016 रकबा 11-11 बीघा किस्म बा0द्वितीय आयी हुई हैं, जो राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज हैं। उक्त विवादित आराजी राजस्व रेकर्ड में सामलाती है, परन्तु मौके पर बंटवाडा हो रखा है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण मौके पर अपने-अपने हिस्सेवुसार काबिज होकर काश्त करते हैं। उक्त आराजी का राजस्व रेकर्ड में कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा नहीं हो रखा है तथा सामलाती दर्ज हैं। इसलिए यह वाद बंटवाडे का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। उक्त विवादित आराजी में वादी का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 से 4 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 5 का 1/4 हिस्सा हैं। इसी हिस्सेवुसार मौके पर काबिज होकर के काश्त करते आ रहे हैं। परन्तु राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज होने से उसका कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाया जाना अति आवश्यक हैं। उक्त विवादित आराजी राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज होने से वादी को अनेकों प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता हैं। वादीगण अपनी आराजी में कुआ खुदवाने व बैंक से ऋण लेने व उपजाऊ बनाने में वादी को कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा हैं। इसलिए वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद बंटवाडा का श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया हैं। दिनांक 04.06.2012 को वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त विवादित आराजी का कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाने का कहा तो प्रतिवादीगण ईन्कार हो गये व वादी को ऐलानिया धमकी दी कि उसे मौके से बेदखल कर देगें तथा उसे उसकी आराजी से बेदखल कर सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

जमा लेगें तथा बंटवाड़ा नहीं करने देगें। यदि प्रतिवादीगण अपने इन नापाक इरादों में सफल हो जाते है तो वादीगण को अपने जायज हक व अधिकारों से महरूम होना पडेगा व हमेशा हमेशा के लिए अपने सामवैतिक अधिकारों से वंचित होना पडेगा। जिससे वादी को असीम क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं होगी। वादी के अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से वादी का यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के बंटवाड़े का पेश किया हैं। प्रतिवादीगण सं. 6 तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार होने से बंटवाड़े के वाद में आवश्यक पक्षकार है, इसलिए पक्षकार बनाया गया है, जबकि इनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा हैं। विनायवाद दिनांक 04/06/2012 को प्रतिवादीगण द्वारा बंटवाडा करने से इन्कार होने से बमुकाम खराडी तहसील–जैतारण में पैदा हुआ जो श्रीमान् के अधिकार क्षैत्र में हैं। इस प्रकार माफिक दावा वादी का वाद डिक्री किया जाकर उक्त विवादित भूमि में वादी की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा पक्षकारानों में करवाये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को बाद तामिली सम्मनस तामिली रिपोर्ट सा0मि0 की गई तथा श्री राजूनाथ व अमित त्रिपाठी द्वारा दिनांक 14/08/2012 को वकालतनामा पेश करने का अण्डर टेकिंग लिया जाने पर अनेकानेक अवसर दिये जाने पर भी वकालतनामा पेश करने में विफल रहने से अवसर समाप्त किया जाकर इनके विरूद्ध दिनांक 02/12/2014 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रति0 संख्या 6 को बावजूद सूचना / तामिली बार–बार आवाजें दिलाने पर भी अनुपस्थित रहने से तथा प्रति0 संख्या 5 को जारी सम्मनस तारीख पेशी 22/01/2013 को रुबरू मौतबिरान आबाद मकान पर चस्पानगी के बावजूद भी बार–बार आवाजें दिलाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 02/12/2014 को की गई। वकील वादी ने शहादत वादी का शपथ–पत्र आज पी0डब्ल्यू0–1 गणपतसिंह का तरदीक सुदा पेश किया, सा0मि0 किया गया। मुख्य परीक्षण करवाया जाकर Exp–1 जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 व नक्शा ट्रेस Exp–2 प्रदर्शित करवाया, सा0मि0 हैं। अन्य शहादत वादी पेश करना नहीं चाहने से बन्द की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने व्यक्त किया कि माफिक राजस्व रेकर्ड वादी उक्त विवादित भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज होने से उक्त विवादित भूमि का बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाये जाने के अधिकारी होने से प्राथमिक डिकी जारी की जाकर बंटवाडा करवाने के अधिकारी हैं, लिहाजा बंटवाडा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात तथा तरदीक सुदा साक्ष्य के शपथ–पत्र का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं, लिहाजा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा की प्राथमिक डिकी जारी कर बंटवाडा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा–खराड़ी, पटवार हल्का–डिगरना, तहसील–जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि ख.नं. 1016 रकबा 11–11 बीघा किस्म बा0द्वितीय भूमि का जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग–अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2015/1246 दिनांक 29/05/2015 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपनी मौका फर्द दिनांक 08/07/2015 द्वारा प्राथमिक डिक्री

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0गि0 की गई।

प्राथमिक डिक्री प्रस्ताव पर बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईस्तदुआ की हैं। वकील मय प्रतिवादीगण ने भी माफिक विभाजन-प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने में कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की अर्थात् सहमति व्यक्त की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 08/07/2015 वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-खराड़ी, पटवार हल्का-डिगरना, तहसील-जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि ख.नं. 1016 रकबा 11-11 बीघा किस्म बा0द्वितीय की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	गणपतसिंह पुत्र गोरादान कौम-चारण सा0 देह खातेदार।	1016	2-17-00	बा0दो0	0.89 रू.
2	छत्तरसिंह पुत्र गोरादान कौम-चारण सा0 देह खातेदार।	1016/1	2-18-00	बा0दो0	0.89 रू.
3	कैलाशदान, महेशदान पि0 केशरसिंह, पदमकंवर बेवा केशरसिंह कौम-राजपूत, सा0 देह खातेदार।	1016/2	2-18-00	बा0दो0	0.90 रू.
4	बलवीरसिंह पुत्र गोरादान कौम-चारण सा0 देह खातेदार।	1016/3	2-18-00	बा0दो0	0.90 रू.
	योग	4	11-11-00	बा0दो0	

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। अन्तिम डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को अंतिम डिक्री पर्चा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 10/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-डिगरना पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादी :-

1. गणपतसिंह पुत्र गौरादान
जाति-चारण निवासी-खराड़ी
तहसील-जैतारण जिला-पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. छतरसिंह पुत्र गोरादान
2. कैलाशदान पुत्र केशरसिंह
3. महेशदान पुत्र केशरसिंह
4. पदमकंवर बेवा केशरसिंह
   जाति-चारण निवासी-खराड़ी
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली
5. बलवीरसिंह पुत्र गोरादान
   जाति-चारण, निवासी-सी/ओ करणी
   मेडिकल शिवरोड़, गोटन
   तहसील-मेड़ता सिटी, जिला-नागौर
6. तहसीलदार जैतारण
   भूमिधारी राजस्थान सरकार
   तहसील-जैतारण जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् बंट्वाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0:111/2012

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-खराड़ी, पटवार हल्का-डिगरना, तहसील-जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि ख.नं. 1016 रकबा 11-11 बीघा किस्म बा0द्वितीय की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	गणपतसिंह पुत्र गोरादान कौम-चारण सा0 देह खातेदार।	1016	2-17-00	बा0दो0	0.89 रू.
2	छतरसिंह पुत्र गोरादान कौम-चारण सा0 देह खातेदार।	1016/1	2-18-00	बा0दो0	0.89 रू.
3	कैलाशदान, महेशदान पि0 केशरसिंह, पदमकंवर बेवा केशरसिंह कौम-राजपूत, सा0 देह खातेदार।	1016/2	2-18-00	बा0दो0	0.90 रू.
4	बलवीरसिंह पुत्र गोरादान कौम-चारण सा0 देह खातेदार।	1016/3	2-18-00	बा0दो0	0.90 रू.
	योग	4	11-11-00	बा0दो0	

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को अंतिम डिक्री पर्चा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 10/07/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	01 - 00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	01 - 00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	03 - 00	महनताना वकील	
महनताना वकील	- -	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	02 - 00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	- -	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	- -	मुत्फरिक	
मिजानः-	07 - 00	मिजानः-	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner